सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट

जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ)

छत्तीसगढ़ रिपोर्ट, 2018

जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ)

छत्तीसगढ़ रिपोर्ट 2018

भूमिका

मार्च 2015 में जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) का गठन भारत के केन्द्रीय खनन कानून– खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम (1957)– में एक संशोधन के माध्यम से किया गया, जिसका स्पष्ट उद्देश्य 'खनन से संबंधित परिचालनों से प्रभावित लोगों और क्षेत्रों के हित और लाभ के लिए कार्य करना है।

डीएमएफ की परिकल्पना एक दशक पहले हुई थी। यह खनन जिलों की असमानता–जहां देश के खनन समृद्ध क्षेत्रों में सबसे गरीब और वंचित लोग बसते हैं–को संबोधित करने के लिए गठन किया गया। डीएमएफ इस तरह की असमानता को दूर करने और लोगों के लिए, सामाजिक–आर्थिक और पर्यावरणीय न्याय सुनिश्चित करने के लिए गठित हुआ है।

कानून के अनुसार डीएमएफ को एक ट्रस्ट के रूप में संचालित करने की आवश्यकता है, जो हर खनन जिले में गैर–लाभकारी निकाय के रूप में कार्यरत होगा। लोगों का हित और भागीदारी इस संस्थान का मूल है। डीएमएफ का उद्देश्य और कार्य तीन मूल आधारों पर टिका है– संवैधानिक प्रावधान जो पांचवें और छठे अनुसूची से सम्बंधित है और जनजातीय क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए है, पंचायत के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996, (पेसा) और अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006–वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के प्रावधानों पर है।

डीएमएफ प्रभावी होने के साथ, पहली बार लोगों को प्राकृतिक संसाधनों से लाभ उठाने के अधिकार की मान्यता प्राप्त हुई है। प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि डीएमएफ कोई अन्य विकास सम्बंधित फण्ड या सरकारी योजना नहीं है। जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) प्राकृतिक संसाधन के अभिशासन का एक जन केंद्रित दृष्टिकोण है जहां लोगों के लाभ प्राप्त करने के अधिकार को सर्वोपरि रखा गया है। यदि डीएमएफ को उचित ढंग से विकसित एवं क्रियान्वित किया जाय, तो डीएमएफ में न केवल सबसे कमजोर समुदायों के जीवन और उनकी आजीविका में सुधार करने की क्षमता है बल्कि ये समावेशी अभिशासन (इन्क्लूसिव गवरनैन्स) के लिए भी एक आदर्श मॉडल हो सकता है।

आज, भारत के अधिकांश खनन जिलों में डीएमएफ ट्रस्ट गठित किए गए हैं। खनिकों से अनिवार्य योगदान के साथ– वर्ष 2015 से पहले दिए गए पट्टों के लिए रॉयल्टी राशि के 30 प्रतिशत के बराबर है, और इसके बाद दिए गए पट्टों के लिए 10 प्रतिशत– भारत में डीएमएफ में कुल संचयी राशि 18,467 करोड़ रु. है (खनन मंत्रालय से मई 2018 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार)।

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) ने भारत में हो रहे डीएमएफ कार्यान्वयन का आंकलन दो प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित करते हुए किया है। सबसे पहले, क्या राज्यों

और जिलों द्वारा डीएमएफ का संचालन इस रूप से हो रहा हैं कि यह अपने उद्देश्य और नियमों के अनुसार कार्य कर पा रहे हैं, और दूसरा, क्या डीएमएफ फंड लक्षित लाभार्थियों के लाभ के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है।

सीएसई ने डीएमएफ ट्रस्ट के संस्थागत और प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के लिए 12 शीर्ष खनन राज्यों के 50 खनन जिलों की समीक्षा की हैं। इनमें ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और तमिलनाडु शामिल हैं। फंड उपयोग का गहन आंकलन 13 जिलों का किया गया जो पांच प्रमुख राज्यों– झारखण्ड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। छत्तीसगढ़ के तीन जिलों में गहराई से मूल्यांकन किया गया, जिसमें कोरबा, दंतेवाड़ा और रायगढ़ शामिल हैं।

हालांकि, आंकलन के निष्कर्ष उत्साहजनक नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कार्यान्वयन से संबंधित कई जमीनी वास्तविकता और तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाते है कि डीएमएफ के नियमों और सिद्धांतों को नजरअंदाज किया जा रहा है।

संवैधानिक प्रावधानों के अधीन निर्मित ट्रस्ट होने के नाते, डीएमएफ को छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम (2015) तथा प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) के दिशानिर्देशों में उल्लिखित अनुसार लाभार्थियों (खनन प्रभावित लोगों की विभिन्न श्रेणियों) की पहचान करने की जरूरत है। ये वे लोग हैं जिनके लाभ के लिए, डीएमएफ ट्रस्ट निधि का उपयोग किया जाना चाहिए; परन्तु, लाभार्थियों की पहचान कहीं भी नहीं की गई है।

ध्यान मुख्य रूप से क्षेत्र विकास पर है, जहाँ खान स्थित है या खनन से संबंधित गतिविधियाँ हो रही है। लेकिन खानों के आस–पास रहने वाले लोग निश्चित रूप से प्रभावित होते हैं, क्षेत्र विशिष्ट ध्यान होने के कारण डीएमएफ के लाभ से कुछ सबसे महत्वपूर्ण लाभार्थियों छुट गए है, जैसे खनन परिचालनों के कारण विस्थापित हुए लोग, जिन्होंने खनन से अपनी आजीविका (वन आधारित) या अपनी जमीन पर पारंपरिक अधिकारों को खो दिया है।

इसके अलावा, जिस तरह से डीएमएफ का संचालन किया जा रहा है, वह भी समस्याग्रस्त है। छत्तीसगढ़ डीएमएफ नियम, और पीएमकेकेकेवाई, लाभार्थियों की पहचान, डीएमएफ प्लानिंग, और कार्यों और योजनाओं की समीक्षा के लिए खनन प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम सभा की शक्ति और भूमिका का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हैं। इस भूमिका को विशेषतः अनुसूचित क्षेत्रों के लिए महत्व दिया गया है, क्योंकि यह देश के संविधान और पेसा एक्ट में भी सम्मिलित हैं।

इसके बावजूद भी किसी भी राज्य के डीएमएफ निकाय में, ग्रामसभा सदस्यों के प्रतिनिधित्व का कोई भी उदाहरण दिखाई नहीं देता है।

यह ही नहीं डीएमएफ निकाय– शासी परिषद और प्रबंधन समिति – में भी सरकारी अधिकारियों का प्रभुत्व है। लोगों के भागीदारी के रूप में राजनीतिक सदस्यों जैसे सांसद

सदस्यों और विधानसभा (एमपी और विधायक), और निर्वाचित पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। इसके अलावा, राज्य सरकार डीएमएफ के प्रशासन में केंद्रीय भूमिका निभा रही है और इसमें निवेश नियंत्रित कर रही है। राज्य खनन विभाग के सचिव, जिन्हें राज्य नियमों के तहत डीएमएफ के निबटानकर्ता/समाहर्ता (सेटलर) कहा गया है, को किसी भी परियोजना को शामिल करने या निकाल देने के अधिकार प्रदान किया गया जैसा भी वह उपयुक्त मानते हो। राज्य सरकार ने डीएमएफ के तहत उच्च प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में 'जन कल्याण' को भी शामिल किया है, यह निर्दिष्ट करते हुए कि राज्य कोई भी सरकारी योजना को इसमें शामिल कर सकता है, जिसके लिए डीएमएफ निधि को खर्च की जाएगी।

छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में डीएमएफ किसी समुचित प्रशासनिक व्यवस्था जैसे कि योजना और समन्वयन कार्यालय, के बगैर कार्यशील है। उदाहरण के लिए सबसे अधिक डीएमएफ निधि वाल शीर्ष नौ जिलों में से केवल तीन में पूर्णकार्यशील कार्यालय स्थापित हुए हैं।

डीएमएफ निर्णय प्रक्रिया में लोगों की सहभागिता की कमी और नियोजन तथा समन्वयन के लिए कार्यालय/ऑफिस का अभाव, डीएमएफ के कार्यों को प्रभावित कर रहा है। इस कारण से डीएमएफ का संचालन एवं निवेश के निर्णय बिना तैयारी एवं अस्थायी बैठकों के माध्यम से किये जा रहें है। सबसे जरूरत वाले मुद्दों को प्राथमिकता देने की कोई स्पष्ट समझ नहीं है, और अब तक कोई व्यवस्थित योजना भी नहीं बनाई गई है।

उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़ में डीएमएफ से 3,133 करोड़ रु. की राशि विभिन्न जिलों के लिए स्वीकृत की गई है। हालांकि, निवेश का प्रमुख जोर विभिन्न क्षेत्रों में अधोसंरचना का निर्माण करना है जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आजीविका इत्यादि, जो कि सामाजिक पूंजी निर्माण पर जोर दिए बिना किया गया है।

डीएमएफ निधि को शहरी क्षेत्रों में कार्यों के लिए स्वीकृत किया जा रहा है न कि उन ग्रामीण क्षेत्रों में, जो कि खनन गतिविधियों से बुरी तरह प्रभावित हैं। उदाहरण के लिए कोरबा में, निवेश का 46 प्रतिशत हिस्सा शहरी क्षेत्रों में विभिन्न कार्यों के लिए दिया गया है जिसमें मल्टी–लेवल पार्किंग लॉट, कन्वेन्शन सेंटर और शहरी स्वच्छता संरचना का निर्माण करना शामिल है, जबकि जिले का प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित 75 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण हैं। बिलासपुर में, डीएमएफ निधि को हवाई अड्डे के कार्य के लिए उपयोग किया जा रहा है।

उपरोक्त उल्लिखित प्रवृत्तियां दर्शाती हैं कि डीएमएफ अपने जन–केन्द्रित उद्देश्यों से भटक रहा है और लक्षित लाभार्थियों को फायदा पहुंचाने में विफल हो रहा है। इस समय जरूरी यह है कि ऐसी प्रणाली पर जोर दिया जाए और ऐसे आवश्यक सुधारों को हाथ में लिया जाए ताकि डीएमएफ अपने उद्देश्यों तथा बुनियादी मार्गदर्शी सिद्धांतों से भटके नहीं।

प्रशासनिक प्राथमिकता के तौर पर डीएमएफ को अपने कानूनी दायित्वों और कानून की भावनाओं का अनुपालन करना होगा। ट्रस्ट को अपने लाभार्थियों की पहचान करनी

चाहिए– अर्थात 'लोंगों', की। निवेश की योजना बनाते समय खनन प्रभावित लोगों और खनन प्रभावित क्षेत्रों के बीच संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए। कानून ने स्पष्ट रूप से इसे परिभाषित किया है, और इस समीकरण को असंतुलित नहीं छोड़ा जा सकता है।

संस्थान के प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए, डीएमएफ की निर्णय लेने की प्रक्रिया केवल सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं पर निर्भर नहीं रह सकती है। खनन–प्रभावित लोग भी डीएमएफ निकाय का एक हिस्सा होना चाहिए। साथ ही प्रशासनिक दक्षता के लिए, समन्वयन व नियोजन के लिए प्रत्येक डीएमएफ का एक ऑफिस होना चाहिए जिसमें आवश्यक कर्मचारियों और विशेषज्ञों को शामिल किया जाना चाहिए।

डीएमएफ की स्वायत्तता (ऑटोनोमी) को भी बरकरार रखना बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार अवश्य ही आवश्यक दिशानिर्देश प्रदान कर सकती है, लेकिन यह डीएमएफ के कार्यक्षेत्र पर नियोजन के लिए हावी नहीं हो सकती, तथा अपने अनुसार खनन–प्रभावित लोगों और क्षेत्रों की आवश्यकताओं की प्राथमिकता निर्धारित नहीं कर सकती है। यह न केवल संस्थान की इच्छित स्वायत्तता से भटकाव है, बल्कि यह जरूरी हस्तक्षेपों के दायरे को भी सीमित करता है।

प्लानिंग और निवेश व्यवस्थित और व्यापक रूप से किया जाना चाहिए। प्लानिंग इस तरह से हो कि लघु और दीर्घकालिक निवेश के माध्यम से स्पष्ट परिणाम निकल कर आयें, जो सामाजिक–आर्थिक और मानव विकास स्थितियों में गुणात्मक सुधार सुनिश्चित कर सके। अंत में लोगों की संस्था के रूप में, प्रत्येक जिले में डीएमएफ से संबंधित सभी जानकारी सार्वजनिक उपलब्ध होनी चाहिए।

लोगों के लाभ का अधिकार सुनश्चित करने में डीएमएफ की बहुत बड़ी क्षमता है। यदि बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित नहीं किया जाता है, तो डीएमएफ किसी भी समय अवैधता और दुरुपयोग के विवादों में घिर जाएगा और इस प्रक्रिया में, देश समावेशी शासन और न्यायसंगत विकास के सबसे बड़े अवसर से छूट जाएगा।

छत्तीसगढ़ में डीएमएफ की स्थिति

छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में डीएमएफ में कुल संचयी राशि लगभग 2,746 करोड़ रु. (अप्रैल 2018 तक) है। डीएमएफ के योगदान का एक बड़ा हिस्सा कोयला खनन से आता है, जो कुल संचयी राशि का लगभग 57 प्रतिशत है। सूचना की पूर्णता के आधार पर तीन शीर्ष खनन जिलों– कोरबा, रायगढ़ और दंतेवाड़ा – में डीएमएफ संचालन और निवेश का विश्लेषण किया गया है।

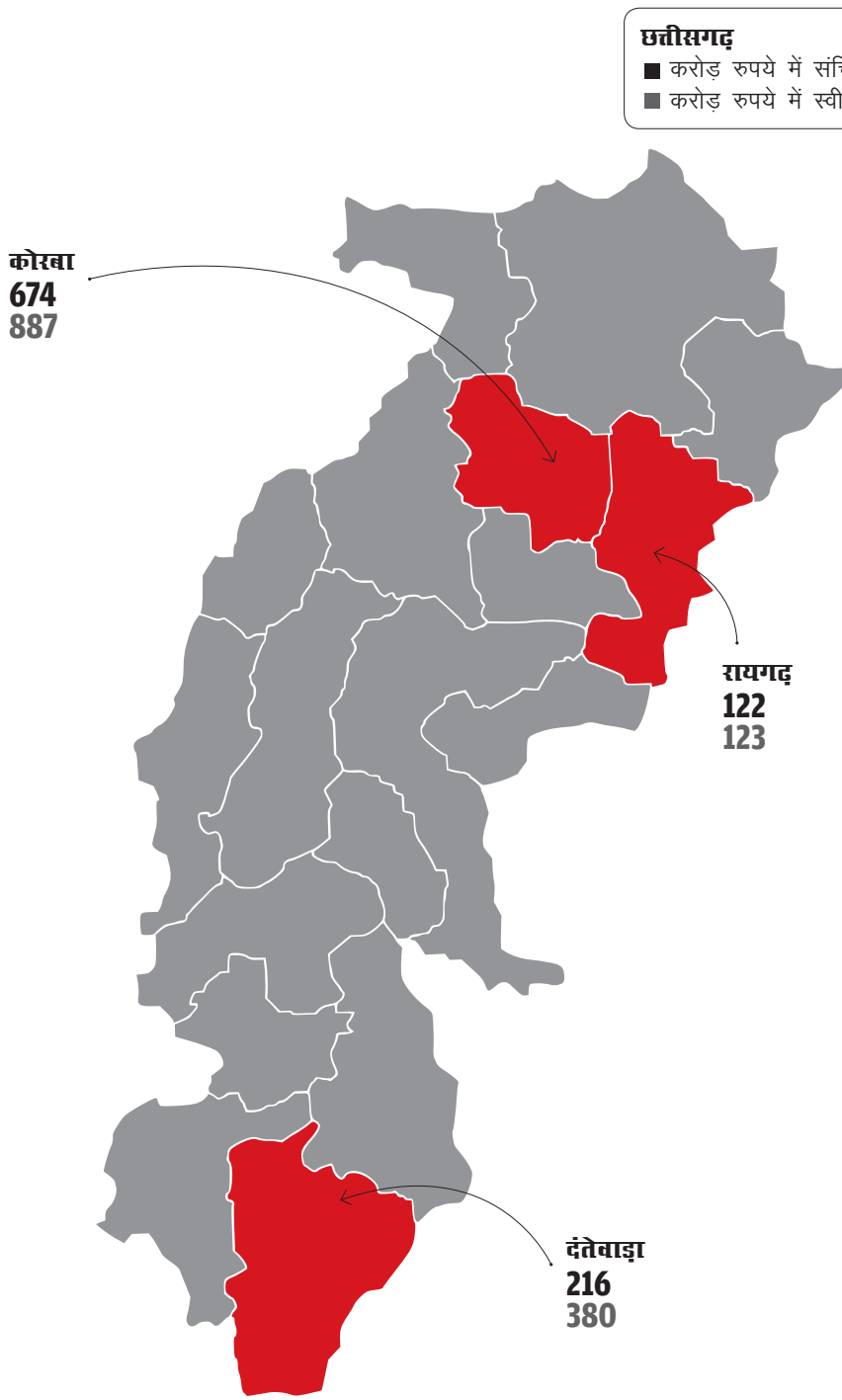

डीएमएफ प्रशासन

- छत्तीसगढ़ द्वारा सीधे प्रभावित या प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रों की पहचान पर कोई विशेष मार्गदर्शन या दिशानिर्देश तैयार नहीं किया गया है। दिशानिर्देशों के अभाव में, विभिन्न जिले प्रत्यक्ष–प्रभावित क्षेत्रों/गांवों की पहचान अपने–अपने तरीके से कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, कोरबा में खानों से तीन किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले गांवों को प्रत्यक्ष प्रभावित माना जा रहा है, वहीं रायगढ़ जिले के लिए परिधि 10 किमी निर्धारित की गई है।
- एक ओर प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रों को निर्धारित करने के बारे में राज्य सरकार स्पष्ट नहीं है, वहीं सभी जिलों ने परोक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों के बारे में एक व्यापक सार्वभौमिक दृष्टिकोण अपनाया है। विभिन्न हिस्सों में होने वाले खनिज परिवहन से जुड़े प्रदूषण के जोखिमों का बहाना देकर पूरे जिले को (प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र के अलावा) को परोक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र माना गया है।
- छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में डीएमएफ के लाभार्थियों की पहचान नहीं की गई है।
- राज्य सरकार ने जुलाई 2017 में जारी आदेश में डीएमएफ ऑफिस स्थापित करने को कहा है। ऑफिस के लिए हर जिले में सरकारी पद भी निर्धारित किये गए हैं । जिलों को तीन श्रेणियों में रखा गया है जो वार्षिक डीएमएफ निधि की प्राप्ति पर निर्भर है, और पदों की संख्या इसके अनुसार निर्धारित की गयी है। उदाहरण के लिए:
  - डीएमएफ ट्रस्ट में वार्षिक तौर पर 30 करोड़ रु. अथवा अधिक निधि वाले जिलों में प्रत्येक ऑफिस में 10 पद (आठ कर्मचारी एवं दो अन्य) होंगे। राज्य के नौ जिले इस श्रेणी में आते हैं।
  - डीएमएफ ट्रस्ट में वार्षिक तौर पर 10 से 30 करोड़ रु. तक निधि वाले जिलों में प्रत्येक ऑफिस में 7 पद (छह कर्मचारी एवं एक अन्य) होंगे। राज्य के दस जिले इस श्रेणी में आते हैं।

सयांतन बेरा / सीएसई

कई खनन जिलों में बड़ी संख्या में अनुसूचित जनजातीय आबादी निवासरत है। इन जिलों में मानव विकास संकेतक भी बहुत गंभीर हैं

डीएमएफ की संस्थानिक संरचना

शाषी परिषद्

आधिकारिक प्रतिनिधि

- जिलाधिकारी,
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत
- पुलिस अधीक्षक
- मंडलीय वन अधिकारी
- उपनिदेशक खनिज प्रशासन/ खनन अधिकारी
- उपनिदेशक, पंचायत
- अधीक्षण अभियंता/कार्यकारी अभियंता, छत्तीसगढ़ विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड
- जिला शिक्षा अधिकारी
- सहायक आयुक्त, आदिवासी कल्याण
- मुख्य मेडिकल एवं स्वास्थ्य अधिकारी
- उपनिदेशक कृषि
- उप/सहायक निदेशक बागवानी
- कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग
- कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा
- कार्यकारी अभियंता, जल संसाधन विभाग
- कार्यकारी अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
- जिला नियोजन अधिकारी

राजनीतिक एवं सामुदायिक प्रतिनिधि

- तीन जन प्रतिनिधि (मध्यस्थ द्वारा नामित)
- प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों में से किसी दो ग्राम पंचायतों के सरपंच (कलेक्टर द्वारा नामित)

उद्योग प्रतिनिधि

- जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक
- खनिज रियायत धारकों के अधिकतम तीन प्रतिनिधि (कलेक्टर द्वारा नामित)

प्रबंध समिति

- जिलाधिकारी
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत
- पुलिस अधीक्षक
- मंडलीय वन अधिकारी
- उप निदेशक पंचायत
- मुख्य मेडिकल एवं स्वास्थ्य अधिकारी
- अधीक्षण अभियंता/ कार्यकारी अभियंता, छत्तीसगढ़ विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड
- उपनिदेशक खनिज प्रशासन/खनन अधिकारी
- उपनिदेशक कृषि/ बागवानी
- कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग
- कार्यकारी अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
- कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा
- जिला शिक्षा अधिकारी
- सहायक आयुक्त, आदिवासी कल्याण
- कार्यकारी अभियंता, जल संसाधन विभाग
- जिला नियोजन अधिकारी
- जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक

राज्य स्तरीय निगरानी समिति

- मुख्यमंत्री
- वित्त मंत्री
- कृषि मंत्री
- वन मंत्री
- पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री
- ग्रामीण सवास्थ्य एवं अभियंत्रण मंत्री
- आदिवासी विकास मंत्री
- स्कूली शिक्षा मंत्री
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री
- प्रधान सचिव
- सचिव, खनिज संसाधन

बॉक्स 1: डीएमएफ निधि की भागीदारी

छत्तीसगढ़ डीएमएफ को एक क्षेत्र विकास निधि के रूप में देख रहा है। राज्य के छह बड़े खनन जिलों को राज्य सरकार ने अपने डीएमएफ निधि का निर्धारित हिस्सा पड़ोसी जिलों के साथ साझा करने का आदेश दिया है। राज्य न ऐसे 14 जिलों की पहचान की है, जो विभिन्न अनुपात में इस अंशदान को प्राप्त करेंगे *(देखें ग्राफ 1: जिलों के बीच निधियों की साझेदारी)*।

उदाहरण के लिए, कुल डीएमएफ संचय राशि में से, दंतेवाड़ा जिला अपने उपयोग के लिए केवल 40 प्रतिशत ही रखेगा। शेष राशि को यह बस्तर (25 प्रतिशत), सुकमा (10 प्रतिशत), बीजापुर (15 प्रतिशत), नारायणपुर (5 प्रतिशत) और कोंडागांव (5 प्रतिशत) में स्थानांतरित करेगा। दूसरे जिलों को दी जाने वाली राशि का हिस्सा किस मापदंड पे तय किया गया है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। हालांकि, जिलों को खनिजों के खनन के परिवहन मार्गों के आधार पर चुना गया है, या नदी के प्रवाह के आधार पर जो प्रदूषित हो सकता है और किसी विशेष जिले की सीमाओं से परे रहने वाले लोगों पर असर कर सकता है।

इस साझेदारी के कारण बस्तर जैसे जिले डीएमएफ संचय में शीर्ष नौ जिलों की सूची में है। जिलों को लगभग 3.6 करोड़ रु. स्वयं की सीमाओं के भीतर की खदानों से प्राप्त होता है और 55 करोड़ रु. की अनुमानित राशि दंतेवाड़ा से प्राप्त होती है।

इन 14 जिलों को आस पास के खदान समूहों को ध्यान में रखते हुए पूर्णतः खनन प्रभावित माना गया है *(खनिज संसाधन विभाग की अधिसूचना दिनांक 2 जनवरी 2016 के अनुसार)*।

ग्राफ 1: जिलों के बीच निधियों की साझेदारी

जिले और शेयरिंग के बाद उनकी भागीदारी

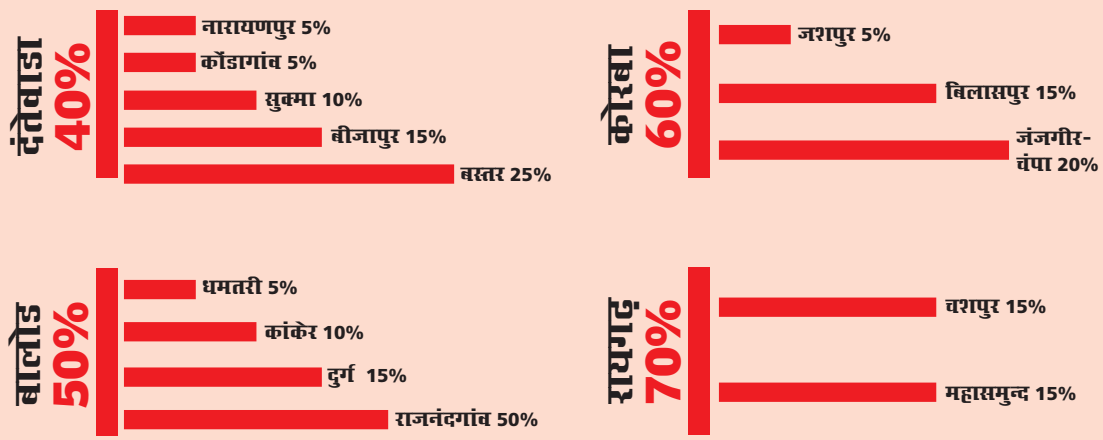

इसके अलावा कोरिया भी 10% डीएमएफ फंड बिलासपुर को और बालोदा बाजार 20% फंड रायपुर के साथ शेयर कर रहे हैं।

- डीएमएफ ट्रस्ट में वार्षिक तौर पर 5 से 10 करोड़ रु. तक निधि वाले जिलों में प्रत्येक ऑफिस में 4 पद (तीन कर्मचारी एवं एक अन्य) होंगे। राज्य के चार जिले इस श्रेणी में आते हैं।

- राज्य ने डीएमएफ निधि की पहुंच में भी विस्तार किया है, और छह शीर्ष खनन जिलों को निर्देशित किया है कि वे उनके डीएमएफ संचित राशि का एक परिभाषित हिस्सा अपने निकटवर्ती जिलों के लिए खर्च करें। यह खनन गतिविधियों से होने वाले विपरीत प्रभावों को ध्यान में रख कर किया गया है। *(देखें बॉक्स 1: डीएमएफ निधि की भागीदारी)*।
- विभिन्न जिलों पर डीएमएफ जानकारी एक राज्य स्तरीय पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध है। हालांकि, अभी तक उपलब्ध जानकारी विभिन्न जिलों में डीएमएफ सदस्यों के विवरण, निधि संचय, स्वीकृति और खर्च इत्यादि तक ही सीमित है। यहां कुछ बिखरी जानकारी भी डीएमएफ बैठकों और लेखापरीक्षा पर उपलब्ध कराई है, जो कि कुछ ही जिलों के बारे में उपलब्ध है।

- डीएमएफ ट्रस्ट लेखापरीक्षा (ऑडिट) को राज्य नियमों के अनुसार संचालित किया गया है। हालांकि, यह केवल एक वित्तीय आडिट ही है, और कोई भी कार्यप्रदर्शन या फिर सामाजिक ऑडिट अभी तक नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ उन कुछ राज्यों में से एक है जहां डीएमएफ नियमों में सोशल ऑडिट (सामाजिक ऑडिट) आवश्यक माना गया है।

डीएमएफ निवेश

- अभी तक, सबसे अधिक निवेश भौतिक अधोसंरचना पर किया गया है, जिसमें सड़क और पुल आदि शामिल हैं। यह निवेश कुल स्वीकृत निवेश का 28 प्रतिशत से अधिक है। सभी खनन जिलों ने भौतिक अधोसंरचना पर प्रमुख निवेश किया है। *(देखें तालिका 1: छत्तीसगढ़ में स्वीकृतियां और खर्च)*।
- महत्वपूर्ण निवेश स्वीकृतियां शिक्षा के क्षेत्र में भी की गई हैं– कुल का लगभग 25 प्रतिशत– यह सोचकर कि यह अन्य विकासात्मक मुद्दों को सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक सिद्ध होगा– जैसे कि रोजगार। हालांकि, अभी तक इसमें निर्माण कार्य ही किए जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कोरबा का एजुकेशन हब है।
- स्वीकृतियों के केवल 6.2 प्रतिशत हिस्से का उपयोग पीने योग्य पानी के लिए किया गया है जो कि राज्य के सभी जिलों में चिंता का सबसे बड़ा विषय है।
- वास्तविक तौर पर स्वीकृत राशि का लगभग आधा हिस्सा ही अब तक खर्च हुआ है। अभी भी जमीनी स्तर पर कार्यों का आरंभ होना बाकी है। मार्च 2018 तक का समग्र खर्च 1,544 करोड़ रु. रहा है।
- राज्य सरकार ने डीएमएफ निवेशों को नियंत्रित/निर्देशित करने में केन्द्रीय भूमिका निभाई है, खासकर केन्द्र तथा राज्य सरकार की सार्वजनिक कल्याण कार्यक्रमों और योजनाओं में। राज्य डीएमएफ नियमों को जून 2016 में संशोधित किया गया था, और इसमें 'जन कल्याण' को उच्च प्राथमिकता के क्षेत्र के तौर पर शामिल किया गया और राज्य को इस संबंध में निर्देशित करने का 'विवेकाधिकार' प्रदान किया गया है कि किन कार्यों को इसके अधीन लिया जा सकेगा।

तालिका 1: छत्तीसगढ़ में स्वीकृतियां और खर्च

क्षेत्र	स्वीकृत राशि (रुपये करोड़ में)	कुल स्वीकृति का (%)	व्यय (रुपये करोड़ में)
भौतिक अधोसंरचना	881.1	28.1	352.8
शिक्षा	781.8	25.0	361.1
पीने का पानी	194.6	6.2	109.7
पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण	83.2	2.7	41.9
स्वास्थ्य देखभाल	234.5	7.5	121.1
महिला एवं बाल विकास	75.5	2.4	40.9
कृषि और सहयोगी	166.8	5.3	82
वृद्ध एवं विकलांग कल्याण	19.9	0.6	11.9
कौशल विकास और रोजगार	121.7	3.9	47.7
स्वच्छता	111.6	3.6	73.2
सार्वजनिक कल्याण	139.2	4.4	131.1
सिंचाई	144	4.6	56.1
ऊर्जा और वाटरशेड	118.9	3.8	79.4
अन्य	60.6	1.2	35.4
कुल	**3,133.3**	**–**	**1,544.3**

स्रोत: *खनिज संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़, मार्च 2018*

चिन्मयी श्रोत्य / सीएसई

आजीविका में सुधार कोरबा की एक प्रमुख चिंता है, लेकिन फिर भी जिले ने आजीविका के लिए डीएमएफ की पूरी स्वीकृत राशि का केवल 1.3 प्रतिशत हिस्सा दिया गया है

- इस बदलाव का अनुपालन करते हुए, राज्य ने सभी जिलों को निर्देशित किया है कि उनकी डीएमएफ निधियों का कुछ हिस्सा वे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, (केन्द्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना) पर खर्च करें। इस बात पर भी जोर दिया गया है कि खनन प्रभावित गांवों में 100 प्रतिशत विद्युतीकरण किया जाए।
- राज्य में मॉडल गांवों का विकास किया जा रहा है। विभिन्न जिलों के खान उत्खनन क्षेत्रों में स्थित कुल 88 गांवों को इसके लिए चुना गया है। इन गांवों को सभी मूलभूत सुविधाएं देने का सुझाव है। इन क्षेत्रों में अगले तीन वर्षों में, खनन प्रभावित लोगों की आय को दोगुना करने के लिए आजीविका के साधनों को सवंर्धित करने का भी आदेश दिया गया है।
- कई जिलों को जिला–विशिष्ट दिशा–निर्देश भी दिए गए हैं, खासकर वहां, जहां निधि अधिक है। उदाहरण के लिए, शीर्ष खनन जिले कोरबा को एजुकेशन हब विकसित करने के लिए कहा गया है, और जिले की कुल स्वीकृति 880 करोड़ रुपए के प्रावधानों में से, एक–चौथाई हिस्सा इस कार्य के लिए आवंटित किया गया है।

प्रमुख खनन जिलों में डीएमएफ की स्थिति

कोरबा

छत्तीसगढ़ में कोरबा डीएमएफ निधि पाने वाला शीर्ष जिला है। डीएमएफ में जिले की कुल संचयी राशि लगभग 1,113 करोड़ रु. (मार्च 2018 तक) है, जिसमें अनुमानित वार्षिक एकत्रण 400 करोड़ रु. है। हालांकि, अपनी संचयी राशि का 40 प्रतिशत हिस्सा पड़ोसी जिलों– जांजगीर–चंपा, जशपुर और बिलासपुर के साथ साझा करने के बाद, कोरबा की डीएमएफ राशि 674 करोड़ रु. है।

कोरबा के डीएमएफ निधि का बड़ा हिस्सा कोयला खनन से आता है। जिले द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, यहां 15 कोयले खदान संचालित है, जिसमें से 14 खदानों को दक्षिण पूर्वी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) जो कि कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की अनुषंगी कंपनी है को लीज़ पर दिया गया है। एक खदान को भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (बाल्को) को दिया गया है।

खनन प्रभावित क्षेत्र पांच विकासखंडों में फैले हुए हैं– कटघोरा, कोरबा, पौंडी उपरोड़ा, पाली और करतला। इन प्रत्येक विकासखंडों में खदानों से तीन किलोमीटर की परिधि के भीतर प्रत्यक्ष प्रभावित गांवों की पहचान की गई है। इस श्रेणी में कुल 202 गांव हैं। इनमें से ज्यादातर गांव ग्रामीण क्षेत्रों में है, और लगभग 25 प्रतिशत प्रभावित गांव कटघोरा और कोरबा विकासखंडों के शहरी हिस्सों में हैं *(देखें तालिका 2: कोरबा जिले में प्रत्यक्ष प्रभावित गांव)*। कटघोरा सबसे अधिक प्रभावित खनन विकासखंड है, जहां 55 प्रतिशत प्रत्यक्ष प्रभावित गांव हैं, जिसके बाद कोरबा का नाम आता है। दोनों ही विकासखंडों में अनुसूचित जनजातियों (अजजा) की जनसंख्या का बड़ा अनुपात निवासरत है *(देखें तालिका 3: कोरबा जिले में प्रमुख खनन प्रभावित विकासखंडों की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल)*।

प्रत्यक्ष प्रभावित गांवों के अलावा, जिले के शेष हिस्से को अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित माना गया है। इसके पीछे तर्क यह है कि खनिज का परिवहन ज्यादातर क्षेत्रों में होता है, और वहां निवासरत लोग खनिज की धूल और प्रदूषण के संपर्क में आते हैं।

तालिका 2: कोरबा जिले में प्रत्यक्ष प्रभावित गांव

विकासखंड का नाम	गांवों की कुल संख्या	शहरी क्षेत्रों के भीतर स्थित गांव
कोरबा	41	18
कटघोरा	111	32
पौंडी उपरोड़ा	28	0
पाली	17	0
करतला	5	0
कुल	**202**	**50**

स्रोत: *जिला डीएमएफ सेल*

तालिका 3: कोरबा जिले में प्रमुख खनन प्रभावित विकासखंडों की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल

विकासखंड का नाम	ग्रामीण जनसंख्या (%)	शहरी जनसंख्या (%)	अनु. जाति (%)	अनु. जनजाति (%)
पौंडी उपरोड़ा	100	0	4	73
कटघोरा	61	39	12	30
पाली	97	3	9	53
कोरबा	26	74	13	25.5
करतला	100	0	11	49
कुल	**63**	**37**	**10**	**41**

स्रोत: *सेन्सस, 2011; ब्लॉक में नगर पालिका और अन्य यूएलबी क्षेत्र भी शामिल हैं।*

अब तक कोरबा में डीएमएफ के निवेश क्या दर्शाते हैं ?

जिले में विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के लिए कोरबा ने डीएमएफ निधि से 887 करोड़ रु. की राशि स्वीकृत की गई है *(देखें तालिका 4: कोरबा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में स्वीकृतियां)*।

- मोटे तौर पे, जिले ने उन अधिकांश क्षेत्रों/मुद्दों पर निवेश किया है जिन्हें डीएमएफ नियमों के अंतर्गत 'उच्च प्राथमिकता' माना गया है, जहां निधियों को उपयोग किया जा सकता है। हालांकि, खनन प्रभावित क्षेत्रों की ज्यादातर गंभीर समस्याओं को ध्यान में रखते हुए निवेश की प्राथमिकता निर्धारण की कोई भी स्पष्ट समझ नहीं है। उदाहरण के लिए, बाल विकास एवं कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए संयुक्त स्वीकृति– जैसे कि महिलाओं, बुजुर्गो और दिव्यांगों के लिए– कुल 22.5 करोड़ रु., जो कि शहरी क्षेत्रों में उद्यानों, इको–पर्यटन और झीलों के रखरखाव के लिए निर्धारित 29.5 करोड़ रु. राशि से भी कम है।

चिन्मयी शाल्य / सीएसई

कोरबा में, 311 करोड़ रुपये की शिक्षा के लिए की गई डीएमएफ स्वीकृति का 69 प्रतिशत एक एकीकृत शिक्षा केंद्र के निर्माण के लिए हैं

तालिका 4: विभिन्न क्षेत्रों में स्वीकृतियां

क्षेत्र	स्वीकृत राशि (रुपये करोड़ में)	कुल स्वीकृत (%)	प्रमुख कार्य जिनके लिए राशि स्वीकृत की गई है
शिक्षा	311	35	एकीकृत एजुकेशन हब (69 प्रतिशत); स्कूलों, छात्रावासों, शिक्षकों के निवास और प्रयोगशालाओं आदि का निर्माण (29 प्रतिशत)
भौतिक अधोसंरचना	216.3	24.4	सड़क, पुल, गोदाम, पंचायत भवन आदि (65 प्रतिशत); बड़ी शहरी परियोजनाएं, जैसे गौरव पथ, सम्मेलन कक्ष, बहु–स्तर पार्किंग (35 प्रतिशत)
पीने का पानी	68	7.6	फ्लोराइड प्रभावित बसाहटें (50.7 प्रतिशत) के लिए पानी की आपूर्ति; अमृत के तहत एनिकट का निर्माण (22 प्रतिशत); हैंड पंप, ट्यूबवेल्स और सौर पंप (14 प्रतिशत)
स्वच्छता	60.7	6.8	शहरी क्षेत्र में नालियों का निर्माण (72.4 प्रतिशत); व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (24.4 प्रतिशत)
स्वास्थ्य देखभाल	26.7	3	स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण (83 प्रतिशत); आयुष केंद्र (10 प्रतिशत)
जन कल्याण	34.3	3.9	उज्जवला योजना– एलपीजी सिलेंडर (88.5 प्रतिशत)
पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण	29.5	3.3	इको–टूरिज्म स्पॉट (43 प्रतिशत); झील संरक्षण (18 प्रतिशत); शहरी क्षेत्र में बैराज गार्डन (14 प्रतिशत)
महिलाओं और बच्चों का कल्याण	14.7	1.65	आंगनवाड़ियों का निर्माण (87 प्रतिशत); आईसीडीएस के अंतर्गत लाभार्थियों को अतिरिक्त पोषक भोजन (12.5 प्रतिशत)
वृद्ध एवं विकलांग कल्याण	7.8	0.9	छात्रावास और आवासीय विद्यालय का निर्माण
कौशल विकास	11.7	1.3	आजीविका संस्थान और कौशल विकास केंद्रों का निर्माण (67 प्रतिशत); मत्स्य पालन, लाख, मधुमक्खियों आदि का विकास (17 प्रतिशत); आजीविका का नवीकरण, और कौशल विकास सुविधाएं, जैसे कोसा सिल्क (11 प्रतिशत)
कृषि और संबद्ध कार्य	4.4	0.5	बीज रोपन इकाइयां (28 प्रतिशत); किसान प्रशिक्षण केंद्र (23 प्रतिशत); चे. क–बांध (17.6 प्रतिशत)
सिंचाई	89	10	एनिकट्स का निर्माण (73 प्रतिशत); जल निकासी (13 प्रतिशत) स्टॉप बांध/बंड का निर्माण (13 प्रतिशत)
ऊर्जा और वाटरशेड	7.13	0.8	गांवों और स्वास्थ्य केंद्रों का विद्युतीकरण (83 प्रतिशत); सौर संचालित संयंत्र (13 प्रतिशत
डीएमएफ परियोजनाओं की निगरानी के लिए पंचायतों की क्षमता वर्धन	3.2	0.4	-
लाभ हस्तांतरण से संबंधित	0.2	0.02	उचित मूल्य की दुकानों का विद्युतीकरण और पानी के कूलर्स प्रदान करना।
नागरिक अधिकार	2.4	0.3	-

स्रोत: *डीएमफ पोर्टल, छत्तीसगढ़*

- ज्यादातर क्षेत्रों में, स्वीकृतियों को भारी तौर पर अधोसंरचनात्मक विकास को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। इसका एक प्रमुख उदाहरण शिक्षा क्षेत्र है, जहां स्वीकृत किए गए 311 करोड़ रु. में से 69 प्रतिशत राशि एक एजुकेशन हब के निर्माण के लिए है। इसी प्रकार, 216 करोड़ रु. की राशि अधोसंरचनात्मक परियोजनाओं के एक मिश्रित बैग के लिए किया गया है जिसमें सड़कें, पुलों, पंचायत भवनों, मल्टी–लेवल पार्किंग लॉट और कन्वेन्शन हॉल का निर्माण शामिल है।
- शहरी आधारभूत संरचना पर खर्च पर स्पष्ट उदारता दिखाई जा रही है। कुल स्वीकृत राशि (लगभग 407 करोड़ रु.) का लगभग 46 प्रतिशत हिस्सा शहरी क्षेत्रों में मुख्य रूप से कटघोरा और कोरबा विकासखंडों में परियोजनाओं की ओर निवेशित किया गया है। जिले द्वारा जिला डीएमएफ के माध्यम से अनिवार्य तौर पर अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) जैसी शहरी योजनाओं की भी पूर्ति कर रहा है। जिले में

तालिका 5: प्रमुख मानव विकास संकेतकों और सुविधाओं की स्थिति

जिला जनसंख्या	कुल	शहरी (%)	ग्रामीण (%)	अनु. जाति (%)	अनु. जनजाति (%)
	1,206,640	37	63	10.3	40.9
परिवार	280,073	35.7	64.3	–	–
साक्षरता	72.3	83	65	73.8	63.7
पोषण की स्थिति– यू5एमआर	–	38	66	–	–
उपचारित नल के पानी की सुलभता	–	38.4	3.4	–	–
ग्रामीण परिवार जहां सबसे ज्यादा कमाने वाले सदस्य की आय रु. 5,000 से कम है (%)	91.3				

रोजगार	श्रमिक (%)	गैर-श्रमिक (%)	गैर-श्रमिक 15 & 59 वर्ष (%)
	43	57	36.3

स्रोत: *सेन्सस, 2011; सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना, 2011*

68 करोड़ रु. की पेयजल मंजूरी में से लगभग एक चौथाई (करीब 15 करोड़ रु.) अमृत योजना के अंतर्गत एक एनिकट के निर्माण के लिए निर्धारित किया गया है (कोरबा शहर को अमृत शहर के रूप में चिन्हित किया गया है)।

- जिले द्वारा भी 34 करोड़ रु. से अधिक की राशि डीएमएफ में उज्ज्वला योजना के लिए योगदान दिया गया है जो कि राज्य सरकार के निर्देशों के क्रम में है।

क्या डीएमएफ निवेश खनन प्रभावितों को लाभ दे पा रहे हैं?

कोरबा, जो छत्तीसगढ़ के खनन और विद्युत केन्द्र के रूप में जाना जाता है, मानव विकास संकेतकों और कुछ बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता के मुद्दों पर काफी पिछड़ा हुआ है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में *(देखें तालिका 5: प्रमुख मानव विकास संकेतकों और सुविधाओं की स्थिति)*। कोरबा का डीएमएफ निवेश और वहां की कुछ मूलभूत जरूरतों को देखते हुए, क्या यह कहा जा सकता है की लोगों की जरूरतें पूरी हो रही हैं?

- यह स्पष्ट सामने आ रहा है की प्रत्यक्ष प्रभावित लोग और क्षेत्र अब तक डीएमएफ की प्राथमिकता नहीं हैं। हालांकि 75 प्रतिशत प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र ग्रामीण इलाकों में हैं, 46 प्रतिशत स्वीकृतियां शहरी केंद्रित परियोजनाओं के लिए की जा रही हैं।
- धनराशि को बेढंगे तरीके से शहरी क्षेत्रों पर केन्द्रित किया गया है। उदाहरण के लिए, कोरबा में मल्टी लेवल पार्किंग लॉट और एक सम्मेलन केंद्र बनाने के लिए डीएमएफ निधि (43 करोड़ रु.) का उपयोग करने के पीछे कोई भी औचित्य नहीं है।
- बड़ी बुनियादी अधोसंरचनागत परियोजनाओं जैसे कि एजुकेशन हब, सड़कों और पुलों आदि पर निवेश पर ध्यान देने के कारण, जिला कई ऐसे प्राथमिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने में असफल रहा है, जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए–
  - कोरबा में– जिसे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गंभीर तौर पर प्रदूषित क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है– पीने के पानी की सुलभता और स्वास्थ्य सबसे प्रमुख चिंता का विषय हैं। कटघोरा विकासखंड, जहां जिले में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष प्रभावित गांव हैं, के ग्रामीण हिस्सों में निवासरत कुल परिवारों में से केवल 6 प्रतिशत के पास उपचारित नल के पानी की सुलभता है। क्षेत्र में जल प्रदूषण की समस्या को केंद्रीय भूजल बोर्ड (2016) द्वारा भी नोट किया है, जहां कटघोरा और करतला विकासखंडों में भूजल में उच्च फ्लोराइड तत्व (2.1 से 5.1 मिलीग्राम/ली) पाए गए हैं, और बहुत उच्च मात्रा में लौह संदूषण (1.08 से 43.82 मिलीग्राम/ली की सीमा

में) कटघोरा, कोरबा और करतला ब्लॉकों के विभिन्न स्थानों पर पाए गए हैं। इस स्थिति के विपरीत, पीने के पानी के लिए केवल 68 करोड़ रु. मंजूर किए गए हैं, जिसमें से लगभग 22 प्रतिशत तो अमृत कार्यक्रम के लिए निर्धारित है।

- एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा पोषण और बाल विकास है। ग्रामीण क्षेत्रों में जिला का यू5एमआर 66 है, और पांच वर्ष से कम आयु के 40 प्रतिशत से अधिक बच्चे कम–वजन वाले हैं। लेकिन बाल विकास के लिए नगण्य तौर पर 14.7 करोड़ रु. मंजूर किए गए हैं, जो मुख्य रूप से आंगनवाड़ी के निर्माण के लिए है। वास्तव में, इको टूरिज्म पर्यटन स्थल, झीलों और शहरी उद्यान के लिए धनराशि की स्वीकृति, बालविकास की तुलना में दोगुनी है।

दंतेवाड़ा

छत्तीसगढ़ में डीएमएफ फंड का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा दंतेवाड़ा जिले का है, जिसमें कुल 550 करोड़ रु. (मार्च 2018 तक) की संचयी धनराशि है। जिला का अनुमान है कि हर साल डीएमएफ में 220 करोड़ रु. प्राप्त होंगे। हालांकि, पांच पड़ोसी जिलों– बस्तर, बीजापुर, कोंडागांव, नारायणपुर और सुकमा के साथ 60 प्रतिशत हिस्सेदारी को साझा करने के बाद– मौजूदा संचयी राशि 216 करोड़ रु. है।

दंतेवाड़ा में डीएमएफ में अधिकांश एकत्रण दक्षिणी हिस्से में स्थित बैलाडिला पर्वत की लौह अयस्क खदानों से आता है। जिला अभिलेखों के मुताबिक, दंतेवाड़ा में सात परिचालित लौह–अयस्क खदानें हैं, जो कुआकोंडा और दंतेवाड़ा विकासखंड में स्थित हैं। लौह–अयस्क खदानों को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) को लीज़ पर दिया गया है। जिले में लगभग आठ टिन–अयस्क खदान भी हैं, जिनमें से सात दांतेवाड़ा, और एक कटेकल्याण विकासखंडों में हैं।

अधिकतर प्रभावित क्षेत्र दंतेवाड़ा, कुआकोंडा और कटेकल्याण ब्लॉकों में फैले हुए हैं। जिले में प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र *(देखें तालिका 6: दंतेवाड़ा जिले में प्रत्यक्ष भावित गांव)* के तहत इन विकासखंडों में लगभग सभी गांवों को शामिल किया गया है। गीदम विकासखंड में प्रत्यक्ष प्रभावित गांवों की संख्या बहुत कम है। इनके अलावा, जिले का शेष हिस्सा, नगरपालिका क्षेत्र सहित– इस तथ्य को मानते हुए अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है कि कई क्षेत्र पानी के प्रवाह और खनिजों के परिवहन के कारणों से प्रभावित होते हैं।

तालिका 6: दंतेवाड़ा जिले में प्रत्यक्ष प्रभावित गांव

विकासखंड का नाम	प्रत्यक्ष प्रभावित गांवों की संख्या		
	प्रमुख खनिज खनन द्वारा	प्रमुख खनिज खनन द्वारा	कुल
दंतेवाड़ा	58	11	69
कुआकोंडा	55	3	58
कटेकल्याण	43	8	51
गीदाम	0	10	10
कुल	**156**	**32**	**188**

स्रोत: *जिला खान विभाग*

तालिका 7: दंतेवाड़ा जिले में प्रमुख खनन-प्रभावित विकासखंडों की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल

विकासखंड का नाम	ग्रामीण (%)	शहरी (%)	अनु. जाति (%)	अनु. जनजाति (%)
दंतेवाड़ा	63	37	5	64
कुआकोंडा	71	29	6	69
कटेकल्याण	100	0	1	92
गीदाम	83	17	2	69
कुल	**76**	**24**	**4**	**71**

स्रोत: *सेन्सस, 2011; ब्लॉक में नगर पालिका और अन्य यूएलबी क्षेत्र भी शामिल हैं।*

जिले के सभी खनन–प्रभावित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या अधिक है। कटेकल्याण विकासखंड में 92 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजातिया है *(देखें तालिका 7: दंतेवाड़ा जिले में प्रमुख खनन–प्रभावित विकासखंडों की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल)*।

श्रीकांत चौधरी / सीएसई

महुआ जैसे लघु वनोपज खनन जिलों में, जहां काफी वन भूमि भी है, आजीविका के अवसरों में वृद्धि की भरपूर क्षमता प्रदान करते हैं

दंतेवाड़ा में डीएमएफ के निवेश क्या दर्शाते हैं ?

- राज्य डीएमएफ नियमों में चिन्हित किए गए प्रमुख सेक्टरों में विभिन्न कार्यों के लिए डीएमएफ निधि से दंतेवाड़ा ने अब तक 380 करोड़ रु. स्वीकृति किए हैं *(देखें तालिका 8: विभिन्न क्षेत्रों में स्वीकृतियां)*।
- सबसे अधिक धनराशि की स्वीकृति (अर्थात 132 करोड़ रु. अथवा 34.7 प्रतिशत) भौतिक अधोसंरचनाओं पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए दी गई हैं।
- निर्माण कार्यों पर जोर दूसरे सेक्टरों में भी स्पष्ट देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, शिक्षा में, जहां लगभग 95 करोड़ रु. की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से 68 प्रतिशत स्कूलों, छात्रावास भवनों, कक्षाओं, प्रयोगशालाओं और शिक्षकों के लिए आवास के निर्माण के लिए निर्धारित हैं।

तालिका 8: विभिन्न क्षेत्रों में स्वीकृतियां

क्षेत्र	स्वीकृत राशि (रुपये करोड़ में)	कुल स्वीकृति (%)	कार्य का प्रकार
भौतिक अधोसंरचना	132	34.7	सड़कों, पुलों, सामुदायिक हॉल इत्यादि का निर्माण
शिक्षा	95.1	25	निर्माण/नवीनीकरण कार्यों में बड़े निवेश किए गए हैं जैसे स्कूल, छात्रावास, कक्षाओं, पहुंच सड़क, शिक्षकों हेतु आवास और प्रयोगशालाएं (68.4 प्रतिशत); किताबों, यूनिफार्म और प्रयोगशाला उपकरणों इत्यादि के लिए (10.5 प्रतिशत)
स्वास्थ्य देखभाल	51	13.4	जिला अस्पताल में विभिन्न कार्य, जैसे डिलीवरी इकाइयों का निर्माण, एनेस्थेसिया सुविधाएं इत्यादि, कमरे, चिकित्सकों के निवास, नवीनीकरण (44.3 प्रतिशत); जिला अस्पताल में चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों का वेतन, स्वास्थ्य केंद्र के लिए (31.3 प्रतिशत)
कृषि और सहयोगी	36.5	9.6	कड़कनाथ चिकन हब (23.6 प्रतिशत); जनजातीय किसानों को उपकरण खरीद के लिए भत्ता (20 प्रतिशत); गाय संरक्षण और अनुसंधान केंद्र के लिए (9.7 प्रतिशत)
कौशल विकास और रोजगार	19.7	5.2	गीदम में पॉलिटेक्निक कॉलेज में विभिन्न कार्य (47 प्रतिशत); ई–रिक्शा के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं हेतु प्रावधान और प्रशिक्षण के लिए (14 प्रतिशत)
पीने का पानी	5.4	1.4	ट्यूब–वेल और सौर–पंप (66 प्रतिशत); पाइपलाइन विस्तार और नवीकरण (15 प्रतिशत); सीआरपीएफ शिविर में पेयजल व्यवस्था, और राज्य बिजली उत्पादन कंपनी सीएसपीडीसीएल के लिए (6 प्रतिशत)
स्वच्छता	7.3	1.9	कल्वर्ट्स का निर्माण (33 प्रतिशत); मौजूदा शौचालयों का नवीनीकरण (23.6 प्रतिशत); रिटेनिंग दीवारों, शेड इत्यादि के निर्माण के लिए (20 प्रतिशत)
पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण	4.2	1.1	झील गहरीकरण और सौंदर्यीकरण (49 प्रतिशत); वृक्षारोपरण (16 प्रतिशत), बाकी अस्पष्ट
महिला एवं बाल विकास	6.2	1.6	ई–मितानिन और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन (50 प्रतिशत); एडब्ल्यूसी का निर्माण और नवीनीकरण (20.4 प्रतिशत)
वृद्ध एवं विकलांग कल्याण	0.5	0.1	वृद्धाश्रम का निर्माण (63 प्रतिशत)
उज्जवला योजना	4.3	1.1	परिवारों को गैस कनेक्शन
सिंचाई	3.3	0.9	धाराओं तथा स्टॉप बांध का नवीनीकरण, नहरों और धाराओं की मेड़ का निर्माण
ऊर्जा और वाटरशेड	14.9	3.9	गांवों, स्कूलों, अस्पतालों आदि में सौर रोशनी और सड़क विद्युतीकरण
प्रशासनिक व्यय	0.1	0.03	–

स्रोत: *जिला खान विभाग, दंतेवाड़ा*

- हालांकि, जिले ने स्वास्थ्य देखभाल को संबोधित करने की दिशा में कुछ अच्छे निवेश किए हैं, जो की औद्योसंरचना और साथ ही साथ संसाधनों को ध्यान में रख के किये गए हैं। औद्योसंरचना के साथ ही, जिले ने डॉक्टरों और स्वस्थ्य कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाने पर भी निवेश किया है।
- अभी तक स्वीकृत की गई राशि का लगभग 50 प्रतिशत दंतेवाड़ा विकासखंड में कार्यों के लिए है जिसमें अधिकतम संख्या में खनन–प्रभावित गांव आते हैं। इसमें शिक्षा में निवेश, जिला अस्पताल का उन्नयन और कर्मचारियों का वेतन, तथा कौशल प्रशिक्षण इत्यादि शामिल है। हालांकि, दंतेवाड़ा विकासखंड को छोड़कर, जिले के अन्य निवेश में प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रों के लिए निवेश की प्राथमिकता का स्पष्ट जोर दिखाई नहीं देता है।

क्या डीएमएफ निवेश खनन प्रभावितों को लाभ दे पा रहा है?

एक दूरस्थ और जनजातीय बहुल जिला, दंतेवाड़ा में सबसे खराब आय के स्तर, व पोषण संकेतक हैं, और स्वच्छ पानी जैसे बुनियादी सुविधाओं की यहां सुलभता नहीं है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है *(देखें तालिका 9: प्रमुख मानव विकास संकेतकों और सुविधाओं की स्थिति)*। जिले के खनन प्रभावित क्षेत्रों के साथ इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, इसकी प्रभावशीलता के संदर्भ में दंतेवाड़ा में निवेश मिश्रित बैग प्रवृत्ति का सुझाव देता है–

चिन्मयी शास्त्र / सीएसई

छत्तीसगढ़ में कुल स्वीकृति का लगभग 25 प्रतिशत शिक्षा के लिए है, यह विभिन्न अन्य विकास संबंधी संकेतकों को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है

तालिका 9: प्रमुख मानव विकास संकेतकों और सुविधाओं की स्थिति

जिला जनसंख्या	कुल	शहरी (%)	ग्रामीण (%)	अनु. जाति (%)	अनु. जनजाति (%)
	283,479	24	76	4	71
परिवार	65,176	25	75	–	–
साक्षरता	48.6	80	38.2	75.6	37.4
पोषण की स्थिति– यू5एमआर	–	26	65	–	–
उपचारित नल के पानी की सुलभता	–	41	2	–	–
ग्रामीण परिवार जहां सबसे ज्यादा कमाने वाले सदस्य की आय रु. 5,000 से कम है (%)	94.7				

रोजगार	श्रमिक (%)	गैर-श्रमिक (%)	गैर-श्रमिक 15 & 59 वर्ष (%)
	51	49	18.7

स्रोत: *सेन्सस, 2011; सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना, 2011*

- खनन–प्रभावित क्षेत्रों की जरूरतों को संबोधित करने के संबंध में, जिले ने कुछ निवेश 'उच्च प्राथमिकता' वाले मुद्दों के लिए किए हैं जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल। वास्तव में, जिला स्वास्थ्य देखभाल निवेश इस बात को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण है कि इसमें अधोसंरचना और संसाधन, दोनों पर ध्यान दिया गया है। हालांकि, जिसका अभाव है वह है अन्य क्षेत्रों में समान तौर पर निवेश की आवश्यकता जो सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े हैं, और स्थिति के समग्र सुधार के लिए जरूरी हैं।
- उदाहरण के लिए, स्वच्छ पेयजल की सुलभता, अच्छे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। जिले में भूजल भारी तौर पर प्रदूषित है, जिसमें अनुमत सीमा से अधिक लौह, फ्लोराइड और नाइट्रेट भूजल मिश्रित हैं। अधिकांश ग्रामीण परिवार इसी भूजल पर निर्भर हैं। आंकड़े बताते हैं कि जिले के सिर्फ 10 प्रतिशत परिवारों को नल का उपचारित पानी उपलब्ध है। फिर भी, जिले ने पेयजल परियोजनाओं के लिए केवल 5 करोड़ रु. ही मंजूर किए हैं।
- जिले में ग्रामीण इलाकों में परिवारों की घरेलू आय बेहद खराब है। लगभग 95 प्रतिशत परिवारों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला सदस्य प्रति माह 5,000 रु. से कम कमाता है। इस बात को ध्यान में रखते आजीविका निवेश को भी आगे सवंर्धित किए जाने की जरूरत है।
- जिले के डीएमएफ निवेश में सबसे बड़ी कमी यह है कि, उन विकासखंडों में पर्याप्त स्वीकृतियां नहीं की गई हैं जिनमें बहुत ज्यादा प्रत्यक्ष प्रभावित गांव हैं। दंतेवाड़ा को छोड़कर, यह अन्य सभी विकासखंडों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, कुआकोंडा विकासखंड– जहां 55 प्रत्यक्ष प्रभावित गांव है– को स्वीकृति का केवल 12 प्रतिशत हिस्सा मिला है। इसके विपरीत, गीदम विकासखंड, जिसमें मात्र 10 प्रत्यक्ष प्रभावित गांव आते हैं, को स्वीकृतियों का 25 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त हुआ है, जिसमें से ज्यादातर राशि अधोसंरचना, शिक्षा और कौशल विकास पर जा रहा है।

रायगढ़

डीएमएफ में रायगढ़ की संचयी धनराशि लगभग 160 करोड़ रु. है; हालांकि, जिले के पास उपलब्ध निधि का लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा पड़ोसी जिलों जशपुर और महासमुंद के साथ साझा करने के बाद, संचयी राशि लगभग 122 करोड़ रु. हैं। जिले में मौजूदा खनन गतिविधियों को देखते हुए वार्षिक तौर पर 70 करोड़ रु. की धनराशि प्राप्ति का अनुमान है।

कोयला और चूना पत्थर जिले की प्रमुख खनिज हैं जिनकी खदानें साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड; एसईसीएलद्ध जिंदल स्टील एंड पावर कंपनी और हिंडाल्को इन्डस्ट्रीज़ लिमिटेड द्वारा संचालित हैं। जिला खनन अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यहां सात कोयला खदाने और 64 चूने की खदाने संचालित हैं।

खनन–प्रभावित क्षेत्र जिले के नौ विकासखंडो में फैले हुए हैं। रायगढ़ में, खदानों से 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले गांवों को जिले द्वारा 'प्रत्यक्ष प्रभावित' माना गया है। इस श्रेणी के अंतर्गत जिले के कुल 83 गांव आते हैं *(देखें तालिका 10: रायगढ़ जिले में प्रत्यक्ष प्रभावित गांव)*। रायगढ़ को छोड़कर, जिसमें शहरी जनसंख्या 53 प्रतिशत है, अन्य सभी क्षेत्र प्रमुख तौर पर ग्रामीण है। सबसे अधिक प्रभावित विकासखंड है तमनार, धरमजयगढ़, घरघोड़ा इत्यादि, जिनमें जनजातीय जनसंख्या भी अधिक है *(देखें तालिका 11: रायगढ़ में प्रमुख खनन–प्रभावित विकासखंडों की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल)*।

इन गावों के अलावा, पूरा जिले को जिसमें नगरपालिका क्षेत्र भी आते हैं, अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित घोषित किया गया है। जिले में खनिजों के परिवहन के साथ–साथ खदानों की एक से अधिक जिलों को छूती सीमाओं को प्रमुख कारण मानते हुए पूरे जिले को अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित माना गया है।

रायगढ़ में डीएमएफ के निवेश क्या दर्शाते हैं ?

- रायगढ़ ने 123 करोड़ रु. से अधिक की धनराशि डीएमएफ निधि से विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए स्वीकृत की हैं *(देखें तालिका 12: विभिन्न क्षेत्रों में स्वीकृतियां)*।

तालिका 10: रायगढ़ जिले में प्रत्यक्ष प्रभावित गांव

विकासखंड का नाम	प्रत्यक्ष प्रभावित गांवों की कुल संख्या
तमनार	15
खरसिया	12
घरघोड़ा	10
बारमकेला	12
रायगढ़	11
सारंगढ़	9
धरमजयगढ़	7
लैलूंगा	4
पुसौर	3
कुल	**83**

स्रोत: *जिला खान विभाग*

तालिका 11: रायगढ़ में प्रमुख खनन-प्रभावित विकासखंडों की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल

विकासखंड का नाम	ग्रामीण (%)	शहरी (%)	अनु. जाति (%)	अनु. जनजाति (%)
धरमजयगढ़	93	7	7	66
लैलूंगा	94	6	7	63
घरघोड़ा	88	12	8	59
तमनार	100	0	10	49
रायगढ़	47	53	16	19
पुसौर	97	3	14	21
खरसिया	87	13	13	29
सारंगढ़	93	7	32	14
बरमकेला	92	8	16	20
कुल	**84**	**16**	**15**	**34**

स्रोत: *सेन्सस, 2011; ब्लॉक में नगर पालिका और यूएलबी क्षेत्र भी शामिल हैं।*

तालिका 12: विभिन्न क्षेत्रों में स्वीकृतियां

क्षेत्र	स्वीकृत राशि (रुपये करोड़ में)	कुल स्वीकृति का प्रतिशत (%)	प्रमुख कार्य जिसके लिए राशि को स्वीकृत किया गया है
भौतिक अधोसंरचना	50.4	40.8	सड़क, पुल, कल्वर्ट का निर्माण
नागरिक अधिकार और सुरक्षा	21.5	17.4	प्रधान मंत्री उज्ज्वल योजना के तहत गैस कनेक्शन
ऊर्जा और वाटरशेड	21.3	17.2	गांव विद्युतीकरण
स्वच्छता	10.3	8.3	मौजूदा खंडहर हो चुकी शौचालयों का जिर्णोद्धार
पीने का पानी	5	4	सौर डुअल पंपों तथा जल प्रशोधन प्रणाली के लिए लगभग 82 प्रतिशत है
शिक्षा	4	3.3	स्कूल भवनों का निर्माण एवं नवीनीकरण (43.2 प्रतिशत); अजा/अजजा छात्रों के लिए चिकित्सा और आईआईटी/जेईई कोचिंग का आयोजन (27 प्रतिशत)
स्वास्थ्य देखभाल	2.9	2.4	उप–केंद्रों, पीएचसी, सीएचसी, ब्लड बैंक आदि का निर्माण (60.6 प्रतिशत); एम्बुलेंस, कृत्रिम अंग, मृत शरीर वाहन आदि जैसे अन्य संसाधन (39.4 प्रतिशत)
जन कल्याण	0.6	0.5	सामुदायिक भोजन गृह
पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण	0.5	0.4	रायगढ़ नगर में सेंसरी गार्डन, पगोड़ा का विकास, चेयर वाली बस–स्टैंड का प्रावधान इत्यादि।
महिला एवं बाल कल्याण	1.2	1	एडब्ल्यूसी के लिए गैस सिलेंडर
वृद्ध एवं विक्लांग कल्याण	0.1	0.1	कुष्ठ रोग का उपचार
कौशल विकास	1.9	1.6	प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के तहत आवासीय कोचिंग के लिए
कृषि और संबद्ध कार्य	1.1	1	सब्सिडीकृत दरों में किसानों को बीजरोपण इकाइयों की आपूर्ति (37 प्रतिशत); मत्स्य पालन का विकास (26 प्रतिशत)
सिंचाई	2.3	1.9	स्टॉप बांध, झीलों और जलनिकायों का नवीनीकरण

स्रोत: *जिला खान विभाग, रायगढ़*

तालिका 13: प्रमुख मानव विकास संकेतकों और सुविधाओं की स्थिति

जिला जनसंख्या	कुल	शहरी (%)	ग्रामीण (%)	अनु. जाति (%)	अनु. जनजाति (%)
	1,493,984	16.5	83.5	15	33.8
परिवार	367,962	15	85	-	-
साक्षरता	73.2	85	71	70.3	64
पोषण की स्थिति– यू5एमआर	–	60	68	–	–
उपचारित नल के पानी की सुलभता	–	32.6	2.34	–	–
ग्रामीण परिवार जहां सबसे ज्यादा कमाने वाले सदस्य की आय रु. 5,000 से कम है (%)	90.6				

रोजगार	श्रमिक (%)	गैर-श्रमिक (%)	गैर-श्रमिक 15&59 वर्ष (%)
	46.2	53.8	32.7

स्रोत: *सेन्सस, 2011; सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना, 2011*

- स्वीकृतियों की प्राथमिक तौर दो प्रमुख केन्द्र बिन्दु हैं– भौतिक अधोसंरचनाओं का विकास (जिसमें स्वीकृति का लगभग 41 प्रतिशत हिस्सा है), और केन्द्र एवं राज्य सरकार लक्षित गैस कनेक्शनों तथा ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए निधि प्रदान करना (जिसमें से प्रत्येक के लिए कुल स्वीकृति का लगभग 17 प्रतिशत से अधिक निर्धारित है)।
- उच्च–प्राथमिकता वाले मुद्दे जिन्हे राज्य डीएमएफ नियमों में चिन्हित किया गया हैए के लिए कुल स्वीकृति की 25 प्रतिशत से कम की धनराशि है। इसके परिणामस्वरूप, प्रमुख मसलों जैसे कि पीने का पानी, स्वास्थ्य देखभाल, पोषण इत्यादि, को बहुत कम मात्रा में राशि प्राप्त हुई है।

क्या डीएमएफ निवेश खनन प्रभावितों को लाभ दे पा रहे हैं?

छत्तीसगढ़ के ज्यादातर खनन जिलों की भांति ही रायगढ़ जिले के खनन क्षेत्रों के लोग भी अत्यंत गरीबी, कमजोर पोषण, स्वास्थ्य देखभाल के अभाव तथा स्वच्छ पानी जैसे बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं *(देखें तालिका 13: प्रमुख मानव विकास संकेतकों और सुविधाओं की स्थिति)*। इनके परिप्रेक्ष्य में स्वीकृतियों की प्रवृत्ति निम्नानुसार सुझाव देती है:–

- जिले ने डीएमएफ प्रमुखतः दो मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित किया है, भौतिक अधोसंरचना विकास कार्यों (जिसमें सड़कों, पुलों और कल्वर्ट्स का निर्माण शामिल है) और राज्य के निर्देशों के अनुसार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलिंडर प्रदान करना। ऐसे फोकस के साथ जिला खास तौर पर सबसे जरूरी मुद्दों पर निवेश करने में विफल रहा जिनकों खनन–प्रभावित क्षेत्रों में सबसे अधिक व त्वरित ध्यान की जरूरत है।
- उदाहरण के लिए, नगण्य तौर पर 5 करोड़ रु. पीने के पानी की परियोजनाओं के लिए प्रदान किया गया है, जो स्पष्ट रूप से यहां मौजूद गंभीर पानी की समस्या के लिए कम है। यहां केवल 2.3 प्रतिशत परिवारों को उपचारित नल का पानी तमनार विकासखंड में उपलब्ध है और धरमजयगढ़ के केवल 1.5 प्रतिशत घरों को इसकी सुलभता है।
- इसी प्रकार महिला और बाल विकास के मुद्दों को संबोधित करने के लिए, लगभग 1 करोड़ रु. राशि की स्वीकृत की गई है, जो कि आंगनवाड़ी में गैस सिलिंडरे के लिए है। यह जिले में प्रभावी तौर पर उच्च यू5एमआर की वास्तविकता को अनदेखा करती है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां यू5एमआर 68 है और बच्चों में कुपोषण पाया जाता है। जिलें में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में 40 प्रतिशत बच्चे स्टंटिंग का शिकार हैं।
- गरीबी उन्मूलन और आजीविका निर्माण भी जिले में समान रूप से उपेक्षित है। कौशल विकास, कृषि और सिंचाई को मिलाकर, केवल 5 करोड़ रु. मंजूर किए गए हैं। यह एक ऐसे समय में है, जब 90 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण परिवार गरीबी की जकड़ में हैं, और परिवार में सबसे अधिक कमाने वाले सदस्य की कमाई प्रतिमाह 5,000 रु. से भी कम है।

अनुशंसाएं

निम्नलिखित कुछ अनुशंसाएं है जो डीएमएफ को एक समावेशी, उत्तरदायी और पारदर्शी संस्थान के रूप में कार्य करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है ताकि डीएमएफ फंड का अपने उद्देश्य के मुताबिक उपयोग हो सके।

जिले को डीएमएफ लाभार्थियों की पहचान करनी चाहिए - लाभार्थियों के बिना डीएमएफ ट्रस्ट का अस्तित्व ही नहीं हो सकता है। लाभार्थियों की पहचान करने से महिलाओं और बाल विकास के मुद्दों को संबोधित करने के लिए लक्षित निवेश भी हो सकेगा।

खनन-प्रभावित लोगों को डीएमएफ के प्रशासन में सहभागी किया जाना चाहिए- खनन–प्रभावित क्षेत्रों की ग्रामसभा (और वार्ड सदस्य जहां अनुमन्य हो) को डीएमएफ निकाय में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं करना, छत्तीसगढ़ डीएमएफ नियमों तथा पीएमकेकेकेवाई के मूलों के विपरीत है।

सभी डीएमएफ नियम, पीएमकेकेकेवाई सहित, विशिष्ट तौर पर डीएमएफ लाभार्थियों की पहचान हेतु, डीएमएफ नियोजन/कार्यो व योजनाओं का चयन, तथा डीएमएफ द्वारा लिए गए कार्यों की समीक्षा हेतु ग्रामसभा की शक्तियों और जिम्मेदारियों का उल्लेख करते हैं। यह खासकर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए उल्लेखित है। इसे पेसा (1996) की धारा 4(e) में स्पष्ट तौर पर निर्दिष्ट किया गया है।

हालांकि, ग्रामसभाओं को दी गई शक्ति को प्रभावी तौर पर तभी प्रयोग किया जा सकता यदि निर्णय प्रक्रिया व डीएमएफ निकाय (शासी परिषद) में उनकी भागीदारी में हो। लेकिन, सभी राज्यों के डीएमएफ ट्रस्ट से ऐसे प्रतिनिधित्व गायब हैं। यह वहां स्थापित कानून और व्यवस्था के बीच एक असंगतता को भी दर्शाता है।

भारत का संविधान अनुच्छेद 244(1) अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से ऐसे प्रतिनिधित्व की प्रशासनिक संलग्नता को मान्यता देता है जो अनुसूचित जनजाति के लोगों के 'कल्याण और उन्नति' से संबंधित हो। डीएमएफ के संधर्भ में यह प्रावधान खासकर पांचवी अनुसूची क्षेत्रों पर लागू होता है। इसलिए, डीएमएफ निकायों में इन लोगों की भागीदारी की आवश्यकता है। संबंधित राज्यों के राज्यपाल इसे सुनिश्चित करने के लिए जरूरी निर्देश जारी कर सकते हैं।

साथ ही, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्राम सभा अपनी शक्तियों और जिम्मेदारियों का प्रयोग कर सकें, पेसा की धारा 4(m), उनके सशक्तिकरण की बात करती है। धारा 4(m) (vi), और (vii) में निर्धारित है कि अनुसूचित क्षेत्रों में, ग्राम सभा को सभी सामाजिक मुद्दों, स्थानीय योजनाओं और संसाधनों पर नियंत्रण, संस्थानों और कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण की शक्ति विशेष रूप से प्रदान की जाती है, जिसमें आदिवासी उप–योजनाओं (ट्रायबल सब–प्लान) के लिए भी प्रावधान शामिल हैं।

अतः डीएमएफ निकाय (शासी परिषद) की संरचना को निम्नानुसार बदलने की जरूरत है:

1. पेसा की धारा 4(m) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि धारा 4(e) के साथ पढ़ा गया है, शासी परिषद में खनन प्रभावित क्षेत्रों से ग्राम सभा का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। खनन प्रभावित क्षेत्रों के लिए, नगर पालिकाओं को शामिल करते हुए, वार्ड सदस्यों को उपयुक्त रूप से शामिल किया जा सकता है।
2. ग्राम सभा सदस्यों का प्रतिनिधित्व जिले में प्रत्यक्ष–प्रभावित गांवों की संख्या के अनुपात में होना चाहिए।

डीएमएफ निकायों में निर्वाचित पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) के सदस्य का होना ग्रामसभा प्रतिनिधित्व के रूप में नहीं माना जा सकता हैं। इसमें दो बातें है, सबसे पहले, पीआरआई सदस्यों के विभिन्न स्तरों के बीच अन्तर्भेद है; और दूसरी जनजातीय क्षेत्रों में, ग्राम सभा का नेतृत्व पारंपरिक प्रधान (जैसे मुंडा) करते हैं, जो पीआरआई सदस्यों की तरह निर्वाचित नहीं होते हैं।

डीएमएफ ट्रस्ट की स्वायत्तता (ऑटोनोमी) को बनाए रखने की जरूरत है- एमएमडीआर संशोधन अधिनियम (2015) के तहत कल्पना की गई डीएमएफ ट्रस्ट की मूल भावना और इच्छित स्वायत्तता को बनाए रखा जाना चाहिए। डीएमएफ की निर्णय लेने की आज़ादी से समझौता नहीं होना चाहिए। कुछ उच्च अधिकारियों द्वारा ही केवल इसे चलाया नहीं जा सकता है। हालांकि, इस फंड की संभावनाओं को देखते हुए, राज्य सरकारें और केंद्र डीएमएफ को बेहतर प्लानिंग, निवेश और कार्य सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान कर सकते है। राज्य सरकार का डीएमएफ के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी में स्पष्ट भूमिका भी होनी चाहिए।

सभी डीएमएफ का एक ऑफिस होना चाहिए- सभी जिलों में डीएमएफ को समन्वय, योजना, निगरानी, लेखांकन और जानकारी के सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए एक ऑफिस स्थापित करना चाहिए। डीएमएफ ऑफिस में जिला कर्मचारी और विशेषज्ञ दोनों होने चाहिए, जिनकी भूमिकाएं निम्नलिखित हो सकती हैं:

(i) पेशेवर विशेषज्ञ जिनका अनुभव विशेष रूप से डीएमएफ नियमों के तहत उच्च प्राथमिकता वाले मुद्दों की प्लानिंग में हो। यदि, फुलटाइम विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हैं, तो पर्याप्त अनुभव वाले उसी क्षेत्र के पेशेवरों को अनुबंध (कांट्रेक्ट) के आधार पर रखा जा सकता है।

(ii) डीएमएफ लाभार्थियों का चयन करने और खनन प्रभावित क्षेत्रों की पहचान और मैपिंग; डीएमएफ कार्यों और योजनाओं के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए विभिन्न जिला स्तर के विभागों और एजेंसियों के बीच समन्वयय वार्षिक रिपोर्ट आदि तैयार करने के लिए अधिकारी।

(iii) डीएमएफटी खातों और अभिलेखों के लिए अधिकारी/लेखाकार।

(iv) डीएमएफ ट्रस्ट के कामकाज से संबंधित शिकायतों को संबोधित करने के लिए कर्मचारी। शिकायतों और प्रतिक्रियाओं पर सार्वजनिक पारदर्शिता और जवाबदेही के उद्देश्य के लिए एक वेब–आधारित शिकायत या शिकायत पंजीकरण प्रणाली विकसित की जा सकती है।

(v) डीएमएफ ट्रस्ट को तकनीकी–प्रबंधकीय समर्थन प्रदान करने के लिए आवश्यक कोई भी अन्य कर्मचारी।

निवेश को प्रभावी बनाने के लिए एक व्यवस्थित और विकेन्द्रित प्लानिंग अभ्यास (बॉटम उप प्लानिंग) का अनुपालन किया जाना चाहिए- प्लानिंग सबसे आवश्यक अभ्यासों में से एक है जिसे डीएमएफ ट्रस्ट के द्वारा खनन प्रभावित लोगों और क्षेत्रों के तत्काल और दीर्घकालिक जरूरतों को देखते हुए किया जाना चाहिए। डीएमएफ प्लानिंग के लिए निम्नलिखित दृष्टिकोणों पर विचार किया जाना चाहिए:

डीएमएफ ट्रस्ट को तत्काल और दीर्घकालिक जरूरतों को पूरा करने और निवेश को बनाए रखने के लिए वार्षिक और परिप्रेक्ष्य योजना अभ्यास (पर्सपेक्टिव प्लानिंग) करना चाहिए।

- 'आउटपुट और आउटकम' दृष्टिकोण पर विचार करते हुए लघु अवधि (एक–तीन वर्ष) और मध्यम अवधि की योजना (तीन–पांच वर्ष) विकसित की जानी चाहिए। इसमें–
  - आउटपुट समयबद्ध और मापनीय होने चाहिए। इनकी समय–समय पर निगरानी की जानी चाहिए। आउटपुट को परिभाषित परिणाम प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए।

- परिणाम गुणात्मक सुधार के रूप में होना चाहिए जो समय के साथ हासिल हो सके और लंबे समय तक बना रहे।

- निवेश को प्रभावी बनाने के लिए उन मुद्दों को 'प्राथमिकता' दी जानी चाहिए। जो खनन प्रभावित लोगों के हित में हों। प्राथमिकता निर्धारण निम्नलिखित के माध्यम से होना चाहिए:
  - महत्वपूर्ण सामाजिक–आर्थिक, मानव विकास और पर्यावरण मानकों में अंतर/कमियों का विश्लेषण।
  - खनन प्रभावित समुदायों और खनन से प्रभावित क्षेत्रों के अन्य हितधारकों (जैसे गैर सरकारी संगठन/सीएसओ, फ्रंट लाइन कर्मी आदि) के साथ सहभागी मूल्यांकन प्रक्रिया (यह डीएमएफ योजना में ग्राम सभा और वार्ड सदस्यों को शामिल करने की आवश्यकता के अनुसार भी है)।

- डीएमएफ निवेश के लिए 'उच्च प्राथमिकता' मुद्दों के साथ–साथ प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रों को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम 60 प्रतिशत बजट प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रों में उच्च प्राथमिकता मुद्दों पर खर्च हो।

- कार्यान्वयन में सुधार के लिए, डीएमएफ प्लान/निवेश, केंद्र और राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ अभिसरण और एकीकरण पर विचार कर सकते हैं। हालांकि, इस तरह के अभिसरण केवल प्राथमिकता के मुद्दों के लिए होना चाहिए जो कि जरूरतों के विश्लेषण और सहभागी मूल्यांकन के माध्यम से निर्धारित किये गये हों। जिला और राज्य बजट को भी ध्यान में रखना चाहिए।

- **डीएमएफ को पारदर्शिता और सार्वजनिक उत्तरदायित्व के सिद्धांतों का अनुपालन करना चाहिए:** सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रयोजनों के लिए, डीएमएफ ट्रस्ट को सार्वजनिक प्राधिकरण माना जाता है, जो सरकार के साथ–साथ सार्वजनिक जांच के लिए खुला है। पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के साथ कार्य करने के लिए डीएमएफ ट्रस्टों हेतु निम्नलिखित आवश्यकताएं सुनिश्चित की जानी चाहिए:

- सार्वजनिक डोमेन में डीएमएफ संबंधी सभी जानकारी का प्रकटीकरण – डीएमएफ वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन में सभी डीएमएफ संबंधित जानकारी साझा करना, सार्वजनिक उत्तरदायित्व और संचालन की पारदर्शिता सुनिश्चित करने का एक प्राथमिक तरीका है। पीएमकेकेकेवाई, पैरा–5, स्पष्ट रूप से इसे 'पारदर्शिता के अनुपालन' की प्रणाली के रूप में भी इसकी पहचान करता है।

- सभी राज्यों की डीएमएफ वेबसाइट में सभी जिला–विशिष्ट डीएमएफ संबंधी जानकारी होने चाहिए। इसमें निम्नलिखित शामिल होने चाहिए:
  - प्रशासनिक निकायों की संरचना/गठन – शासी परिषद और प्रबंध समिति– और अन्य जैसा कि सबंधित राज्य के डीएमएफ नियमों में निर्दिष्ट किया गया हो,
  - डीएमएफ फंड उपचय,
  - लाभार्थियों की सूची,
  - खनन से प्रभावित क्षेत्रों की सूची (और मानचित्र) – प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र,
  - बैठकों के मिनट,

- ग्रामसभा कार्यवाही,
- डीएमएफ योजना,
- प्रतिबंध और व्यय,
- परियोजनाओं और कार्यों का विवरण, और चल रही परियोजनाओं/कार्यों की स्थिति,
- खातों और लेखा परीक्षा आदि के रिकॉर्ड सहित वार्षिक रिपोर्ट
- डीएमएफ के संबंध में जारी सभी आदेश, अधिसूचनाएं, निर्देश, दिशानिर्देश।

एक वेबसाइट के अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि दूरस्थ के इलाकों में लोगों तक जानकारी पहुचें इसके लिए जिला और पंचायत स्तर के प्लेटफार्मों में डीएमएफ से संबंधित जानकारी प्रदर्शित करने की प्रक्रियाओं को अपनाया जाना चाहिए। सार्वजनिक बैठकों और विज्ञापनों के माध्यम से जानकारी का प्रसार भी एक वैकल्पिक माध्यम है।

डीएमएफ की व्यापक तौर पर लेखापरीक्षा की जानी चाहिए- वित्तीय, कार्यप्रदर्शन एवं सामाजिक लेखापरीक्षा (ऑडिट): एक सार्वजनिक ट्रस्ट होने और पीएमकेकेकेवाई (जो कि एक जनलाभ की योजना है) के अर्न्तगत संचालित होने के नाते डीएमएफ के वित्तीय एवं कार्यप्रदर्शन दोनों प्रकार के ऑडिट किये जाने चाहिए।

- सुप्रीम ऑडिट संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय मानक (आईएसएसएआई) द्वारा प्रदान की गई व्याख्या तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार (सीएजी) के अनुसार, वित्तीय लेखापरीक्षा यह आश्वासन प्रदान करती है कि वित्तीय विवरणों को वित्तीय स्थितियों में उचित तौर पर प्रस्तुत किया गया है। दूसरी ओर, कार्यप्रदर्शन ऑडिट एक संगठन के कार्यक्रम अथवा योजना की आर्थिकता, कार्यकुशलता और प्रभाविता का एक विस्तारित मूल्यांकन है।
- एक स्वतंत्र सामाजिक ऑडिट जिसमें संबंधित हितधारकों को शामिल किया गया हो, खासकर खनन–प्रभावित क्षेत्रों से, डीएमएफ के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सामाजिक ऑडिट लाभार्थियों को विकासात्मक गतिविधियों का परीक्षण कर सकने का अवसर प्रदान करता है।
- डीएमएफ की सामाजिक ऑडिट का मुख्य उद्देश्य संबंधित हितधारकों और लक्षित लाभार्थियों को शामिल करते हुए योजनाओं और डीएमएफ निधि द्वारा किए गए कार्यों की 'समवर्ती लेखा परीक्षा' को सुविधाजनक बनाना है। ऑडिट में लाभार्थियों को शामिल किए जाने की समीक्षा, विकास योजनाओं/कार्यों की समयबद्धता, कार्यपूर्णता दरों, तथा इससे जुड़े अन्य मुद्दों को शामिल किया जा सकता है। इस प्रकार की प्रणाली डीएमएफ नियमों और पीएमकेकेकेवाई के अनुसार डीएमएफ निधियों से किये गये कार्यों और योजनाओं की समीक्षा में ग्राम सभा की भागीदारी भी सुनिश्चित होगी। यह प्रक्रिया लोगों को शिक्षित बनाएगी और उन्हें डीएमएफ कानूनों के अधीन उनके अधिकारों और हक के बारे में जागरूक करेगी।
- छत्तीसगढ़ सरकार को सामाजिक ऑडिट संचालित करने के लिए एक समुचित दिशानिर्देश तैयार करना चाहिए जैसा कि छत्तीसगढ़ डीएमएफ ट्रस्ट नियम के नियम 12(3) में निर्दिष्ट किया गया है। ऐसी ऑडिट आयोजित करने के लिए दिशानिर्देशों को अन्य सरकारी कल्याण योजनाओं के लिए सामाजिक ऑडिट प्रक्रिया के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए, जैसा कि भारत सरकार द्वारा पंचायत एंटरप्राईज सुइट में उपयोग किया जा रहा है।

यह रिपोर्ट सीएसई की
People First
District Mineral Foundation (DMF) Status Report 2018
पर आधारित है

Centre for Science and Environment
41, Tughlakabad Institutional Area, New Delhi 110 062
Phones: 91-11-29955124, 29955125, 29953394
Fax: 91-11-29955879 E-mail: cse@cseindia.org
Website: www.cseindia.org